न्यायालय में :- श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०प्र०)

155

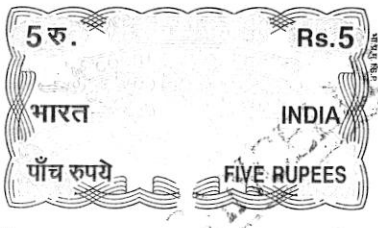

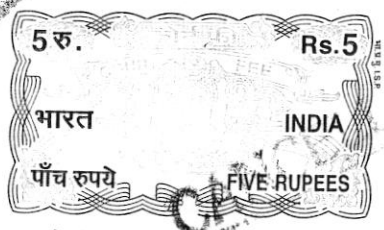

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs. 20=00

II/निगरानी/शहडोल/भू.रा/2017/6333

राजकुमार सिंहानी, उम्र 50 वर्ष, पिता स्व० प्रह्लाद सिंहानी, निवासी वार्ड नं. 18 शहडोल, पुराने आर. टी. ओ. कार्यालय के पास शहडोल, तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल (म०प्र०) —— पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता

श्री विष्णु कान्त तिवारी अभिभाषक/अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत

01-9-17

(1) बुल्ला उर्फ बच्चा खान वि० पिता ~~बत्तोबाई~~, ~~पत्नी~~ अमरुल्ला खान, निवासी सब्जी मण्डी शहडोल, तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल (म०प्र०)

(2) म०प्र० शासन —— उत्तरार्थीगण

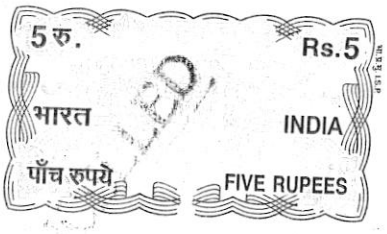

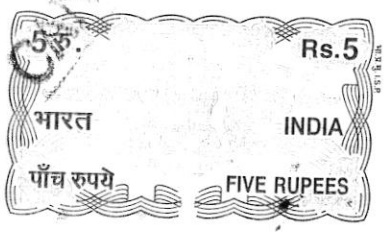

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्रीमान नजूल अधिकारी शहडोल, जिला शहडोल (म०प्र०) द्वारा प्रकरण क्रं. 13 अ 20 (2) 2012-13, शीर्षक "बत्तोबाई V/S शासन" में पारित आदेश दिनांक 11-5-16 के विरुद्ध पुनरीक्षण, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं०

मान्यवर,

राजकुमार सिंहानी उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता

यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर विनय करता है! —

मामले के तथ्य

उत्तरार्थी क्रं. 1 की माता बन्तोबाई ने श्रीमान तहसील अधिकारी शाहडोल के न्यायालय में अवमाय हेतु भूमि खसरा क्रं. 111/2 के अंश भाग रकबा 266 वर्गफिट भूमि, अवमाय हेतु अस्थायी लीज का आवेदन, जिसका प्रकरण क्रं. 13 अ 20 (2) 2012-13, प्रस्तुत किया था। उत्तरार्थी / आवेदिका बन्तोबाई की मृत्यु के पश्चात उसके एक कथित उत्तराधिकारी बुद्दा उर्फ बच्चा खान ने पक्षकार बनने का आवेदन किया था। जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11-5-16 को स्वीकार कर बुद्दा उर्फ बच्चा खान को पक्षकार बना दिया था। जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता / आपत्तिकर्ता को यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करनी पड़ रही है।

पुनरीक्षण के आधार

राजकुमार सिंह
(1) यह कि, आलोच्य आदेश कानूनन, एवं वाकायतन गलत होने के कारण अपास्त किये जाने के योग्य है।

(2) यह कि, उक्त प्रकरण की आवेदिका

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/भूरा/2017/6333

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.3.18	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता श्री विष्णुकांत तिवारी को तीन बार आवाज लगाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	